राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 9(6)राज–6/2000/पार्ट/139 जयपुर, दिनांक 28/11/2019

–:आदेश:–

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई ग्रामों में आबादी भूमि राज्य सरकार में निहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का विकास व रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अतः राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102क में दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी समस्त भूमियां, जो आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, जिन पर मौके पर आबादी बसी हुई है व राज्य सरकार में निहित है अथवा जमाबंदी की खाता संख्या 1 में दर्ज है या बिलानाम है, संबंधित आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किए जाने का आदेश देती है।

समस्त जिला कलक्टर इन आदेशों की पालना में संबंधित तहसीलदारों द्वारा ऐसी भूमियों का कब्जा संबंधित ग्राम पंचायत को संभलवाकर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

28.11.19

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अति0 मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner